प्रेषक

परिवहन आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

सभी महा प्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन ।

क्रमांक 264-283/टी.आई-3

दिनांक:- 27-1-2005

विषय:- वाहनों के मार्ग पर ब्रेक डाउन होने पर की जानी वाली कार्यवाही बारे ।

इस कार्यालय के पत्र-क्रमांक 8158-77/टी.आई-3 दिनांक 15.1.2004 के सन्दर्भ में ।

इस कार्यालय द्वारा कुछ हिदायतें जारी की गई थी । परन्तु देखने में आया है कि उन हिदायतों की पालना अभी भी पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है । परिणामस्वरूप यात्रियों को असुविधा व राज्य परिवहन की बदनामी हो रही है ।

अत: एवं आपको वाहन के मार्ग पर ब्रेक डाउन होने की स्थिति में निम्न प्रकार से कार्यवाही करने हेतु पुन: निर्देश दिए जाते हैं:-

1. वाहन के ब्रेक डाउन होने की स्थिति में चालक वाहन को जहां तक सम्भव हो सके सड़क के एक साईड में खड़ी करें ।
2. तत्पश्चात चालक/परिचालक वाहन के पीछे "ब्रेक डाउन" का बोर्ड लगाये ताकि पीछे आ रही वाहन के चालक/परिचालक को इसकी जानकारी हो सके और वे अपनी वाहन को रोकर ब्रेक डाउन वाहन के यात्रियों को उठा सके ।
3. ब्रेक डाउन वाहन का परिचालक जितने भी यात्रियों को जिस वाहन में बिठायेगा उसका ब्यौरा जैसाकि ब्रेक डाउन का स्थान, समय व यात्रियों की संख्या आदि अपने हाथ से उस परिचालक के वेबिल पर इन्द्राज करेगा और उस बस का परिचालक/चालक उपरोक्त ब्यौरा ब्रेक डाउन वाहन के परिचालक के वेबिल में भी अपने हाथ से इन्द्राज करेगा ।
4. ब्रेक डाउन वाहन का परिचालक अपने यात्रियों को अन्य वाहन में बैठने के पश्चात तुरन्त नजदीकी डिपो को वाहन को अटैण्ड करने बारे सूचना देगा और चालक अपनी वाहन के पास रहेगा ।
5. परिचालक अपने वेबिल में वाहन के बारे में जिस अधिकारी/कर्मचारी डिपो सहित को सूचना दी है, उसका नाम पद व समय नोट करेगा ।
6. नजदीकी डिपो का कर्मशाला प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी वाहन को शीघ्रअतिशीघ्र अटैण्ड किया जाए । यदि कोई परेशानी है तो वह व्यक्तिगत तौर पर संबंधित डिपो से सम्पर्क कर वाहन को अटैण्ड करवाएगा ।

—2—

7. अपने डिपो में पहुंचने पर परिचालक पूरा ब्यौरा जैसाकि वाहन के ब्रेक डाऊन होने का स्थान समय व दूसरी वाहन में बैठाएगए यात्रियों का ब्यौरा बुकिंग ब्रांच इन्चार्ज को व्यक्तिगत तौर पर नोट करवाएगा । जिसकी सुचना बुकिंग ब्रांच इन्चार्ज लिखित में कर्मशाला प्रबन्धक व यातायात प्रबन्धक व महा प्रबन्धक को तुरन्त देगा ।

8. कर्मशाला प्रबन्धक ये भी सुनिश्चित करेंगें कि उसके आगार की सभी बसों में सभी आगार/उप आगार के सभी आवश्यक दूरभाष नं० महा प्रबन्धक, कर्मशाला प्रबन्धक, कार्य निरीक्षक एवं पूछताछ कार्यालय (लेमिनेटिड फार्म में उपलब्ध हो ताकि चालक/परिचालक को सूचना देने में किसी तरह के विलम्ब का सामना न करना पड़े ।

इस विषय में सभी सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों को आदेश पारित किए जाए और इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाएगा ।

उप-परिवहन नियन्त्रक (तक)
कृते: परिवहन आयुक्त, हरियाणा ।

पृ० क्रमांक 284-285/टी.आई-3 दिनांक:- 27-1-2005

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजि सहायक/वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग ।
2. सचिव/परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ ।

उप-परिवहन नियन्त्रक (तक)
कृते: परिवहन आयुक्त, हरियाणा ।

पृ० क्रमांक 286-331/टी.आई-3 दिनांक:- 27-1-2005

इसकी एक प्रति सभी कर्मशाला प्रबन्धक/यातायात प्रबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर आदेश दिए जाते हैं कि उपरोक्त आदेशों की पालन कठोरता से की जाये ।

उप-परिवहन नियन्त्रक (तक)
कृते: परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ ।